UPM0010014692015

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-1, मुरादाबाद,

पीठासीन अधिकारी– (अंजना), **(उच्चतर न्यायिक सेवा)** – UP06138

सत्र परीक्षण सं0– 401/2015
मु0अ0सं0– 27/2015
धारा–4/25 आर्म्स एक्ट
राज्य बनाम शेरू।

07.03.2026

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर अभियुक्त अनुपस्थित।

पत्रावली का परिशीलन किया गया। पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त शेरू के संबंध में न्यायालय द्वारा प्रेषित गिरफतारी वारण्ट कागज सं0 66बी/1 के पुष्ट भाग पर संबंधित थाना पाकबड़ा के उपनिरीक्षक अंकुर चौधरी द्वारा इस आशय की आख्या प्रस्तुत की गयी कि ''उक्त एन0बी0डब्लू0, 82 व 83 सी0आर0पी0सी0 की कार्यवाही मुझ उपनिरीक्षक द्वारा अमल में लायी गयी तो वाक्यात इस प्रकार पाये गये कि वारण्टी शेरू पुत्र इदरीश निवासी सरावनी, थाना बाबूगढ़, जनपद हापुड़ संबंधित मु0अ0सं0 27/2015 अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट को उपरोक्त पते पर तलाशा गया तो वारण्टी उपरोक्त लगभग चार–पांच वर्ष पहले अपनी चल–अचल सम्पत्ति बेचकर कहीं बाहर रहने चला गया है, जिस संबंध में अन्य कोई लाभप्रद जानकारी नहीं मिल पायी। मौजूदा ग्राम प्रधान की लिखित तहरीर संलग्न रिपोर्ट की जा रही है।'' उक्त आख्या के साथ ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सरावनी द्वारा अभियुक्त शेरू द्वारा लगभग चार–पांच वर्ष पहले अपनी चल–अचल संपत्ति बेचकर कहीं बाहर रहने चले जाने के संबंध में दिया गया लिखित प्रमाण पत्र कागज सं0 66बी/6 प्रस्तुत किया गया है।

उपनिरीक्षक अंकुर चौधरी बतौर सी0डब्ल्यू0–1 परिक्षित हुए है, जिन्होंने अपने बयानों में अभियुक्त शेरू के संबंध में बयान देते हुए यह कथन किया है कि ''दिनांक 13.02.2026 को मैं, थाना पाकबड़ा पर बतौर उपनिरीक्षक तैनात था। उस दिन मुझे माननीय न्यायालय से अभियुक्त शेरु पुत्र इदरीश निवासी–सरावनी, थाना बाबूगढ़, जिला हापुड़ अपराध संख्या–27/2015, थाना पाकबड़ा, अन्तर्गत धारा–4/25 आर्म्स एक्ट, राज्य बनाम शेरु के संबंध में गिरफ्तारी वारण्ट और अन्तर्गत धारा 82 सी0आर0पी0सी0 तथा धारा 83सी0आर0पी0सी0 करने की आदेशिकाएं प्राप्त हुई थी। मैं, अपने थाने पाकबड़ा से आदेशिकाओं की निष्पादन हेतु अभियुक्त के गांव से संबंधित थाना– बाबूगढ़, जिला हापुड़ गया था और थाना बाबूगढ़ में जाकर अपनी आमद और रवानगी जी.डी. नं0–29 समय 13:14 बजे, दिनांक 13.02.2026 को की थी, जो पत्रावली पर कागज संख्या 66बी/5 है। फिर मैं, अभियुक्त के गांव सरावनी पहुंचा तो वहां पर जांच पड़ताल करने पर जानकारी हुई कि अभियुक्त शेरु पुत्र इदरीश, जो गांव सरावनी में निवास करता था, परन्तु 4–5 वर्ष पहले वह अपनी चल–अचल सम्पत्ति बेचकर बाहर चला गया है। इस संबंध में गांव की प्रधान श्रीमती शाहना ने एक लिखित व हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र दिया। जो पत्रावली पर कागज संख्या 66बी/6 है। इस आधार पर मैंने यह पाया अभियुक्त शेरु पुत्र

Digitally signed by ANJANA
Date: 2026.03.07 17:27:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

इदरीश निवासी सरावनी गांव में निवास नहीं कर रहा है और कई साल से गायब है और निकट भविष्य में उसके मिलने की सम्भावना नहीं है। इस आधार पर मैंने अपनी आख्या न्यायालय में दी है। जो पत्रावली पर कागज संख्या–66बी/1 के पुष्ट भाग पर है। यह मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। तसदीक करता हूं और यह आख्या थाना प्रभारी पाकबड़ा द्वारा भी अग्रसारित है। इस पर प्रदर्श ख–1 डाला गया।''

इस प्रकार सी0डब्ल्यू0–1 ने अपने बयानों में अपने द्वारा अभियुक्त शेरू के गिरफतारी वारण्ट कागज सं0 66बी/1 के पुष्ट भाग पर दी गयी आख्या को प्रदर्श ख–1 के रूप में साबित किया है तथा अभियुक्त के संबंध में ग्राम प्रधान शहाना, ग्राम पंचायत सरावनी वि0 स0 सिम्भावली, जिला हापुड द्वारा लिखित प्रमाण पत्र कागज सं0 66बी/6 भी स्वयं द्वारा उक्त आख्या के साथ प्रस्तुत किये जाने का कथन किया है। अतः उपरोक्त प्रलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर स्पष्ट है कि अभियुक्त फरार चल रहा है। उसके निकट भविष्य में उपस्थित होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः धारा 299 द0प्र0सं0 के तहत इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

अभियुक्त शेरू पुत्र इदरीश निवासी सरावनी, थाना बाबूगढ़, जिला हापुड़ के उपस्थित होने या गिरफतार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर इस वाद में पुनः कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। संबंधित थाना को अभियुक्त के विरूद्ध स्थाई वारंट प्रेषित किया जाये। अभियुक्त शेरू के जामिनान के विरूद्ध 491 बी0एन0एस0एस0 की कार्यवाही संचालित की जाये।

पत्रावली इस निर्देश के साथ दाखिल दफ्तर हो कि अभियुक्त के उपस्थित आने अथवा गिरफतार होने पर इसे पुनः न्यायालय के समक्ष पेश किया जाये और पत्रावली तब तक विनिष्ट न की जाये।

(अंजना)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0 01,मुरादाबाद।